

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति याद संख्या :-552/2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 40)

हारुन तिडू.....आवेदक/विक्रेता

सुनीता भेंगरा..... क्रेता

बनाग

राज्य सरकार.....द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
23.12.2023	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती हारुन तिडू पिता/पति स्व० राम तिडू उर्फ राम पहान ग्राम-पाण्डू, पो०-विचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है।</p> <p style="text-align: center;"><u>भूमि का विवरण</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पाण्डू</td> <td>248</td> <td>104</td> <td>1716</td> <td>0.17½</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती हारुन तिडू पिता/पति स्व० राम तिडू उर्फ राम पहान ग्राम-पाण्डू, पो०-विचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती सुनीता भेंगरा पिता/पति सागर तोपनो ग्राम-कुंजला, पो०-विचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी को बिक्री करना चाहते/चाहती है।</p> <p>आवेदिका/आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद 0518155876 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 836 दिनांक 09.12.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका के पूर्वजों की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम शुना हाबील पाहन है। आवेदक पंजी II रैयतों में से एक के पुत्र है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं० 1 के पृष्ठ सं० 80 पर जमाबंदी दर्ज है।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	पाण्डू	248	104	1716	0.17½	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)								
पाण्डू	248	104	1716	0.17½								



आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी है एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य है। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, मुरहू के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य एवं एक ही थाना के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 1064 दिनांक 20.10.2023 के साथ अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCST/2022/423245 दिनांक 23.03.2023 एवं आवारतीय प्रमाण पत्र सं०- JHRC/2023/209434 दिनांक 23.06.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 836 दिनांक 09.12.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका हारून तिडू पिता/पति स्व० राम तिडू उर्फ राम पहान ग्राम-पाण्डू, पो०-बिचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती सुनीता भेंगरा पिता/पति सागर तोपनो ग्राम-कुंजला, पो०-बिचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी के साथ ग्राम पाण्डू के खाता सं० 104 खेसरा संख्या 1716 रकबा 0.17½ एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।